

I/484634/2024

संख्या- 168/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ: दिनांक 02/02/2024

विषय:- क्लाइमेट रेजिलिएंस एण्ड डिजास्टर मैनेजमेन्ट पर एडीएम स्तर के अधिकारियों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5094/रा0 आ0 का0/2023-24, दिनांक 19.01.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्लाइमेट रेजिलिएंस एण्ड डिजास्टर मैनेजमेन्ट पर एडीएम स्तर के अधिकारियों के लिए 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि के सामान्य मद-11 से ₹0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम एवं शर्तें-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय में लेखा-जोखा रखा जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013 - रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

I/484634/2024

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम

केवल

(राम केवल) 02-2024 12:29:13

Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या-168/एक-10-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ ।
3. विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
6. कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग- 5
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-05/02/2024

प्रेषण संख्या:- 168
आवंटन आदेश संख्या:- 001-168
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 148933807	1000000 148933807
	योग	वर्तमान प्रगामी	1000000 148933807	1000000 148933807

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ नवासी लाख तैंतीस हजार आठ सौ सात

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन